8. सत्र 2007–08 की कक्षा 8 (बोर्ड पैटर्न) की पूरक परिक्षा का आयोजन
कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकोनर

क्रमांक शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / एबी / 3527 / 07–08 दिनांक

विषय–सत्र 2007–08 की कक्षा 8 (बोर्ड पैटर्न) की पूरक परीक्षा का आयोजन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि सत्र 2007–08 में कक्षा 8 की पूरक परीक्षा दिनांक 03.07.08 से 05.07.08 तक आयोजित होनी है अतः यह परिक्षा एवं इससे संबंधित समस्त कार्य समय पर संपन्न हो, इस हेतु आप संपूर्ण आवश्यक व्यवस्था करते हुए अपनी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय परिक्षा संचालन समिति के माध्यम से परिक्षा संपन्न करवाई जावे।

इस हेतु आवश्यक निर्देश / जानकारी एवं समया विभाग चक्र भी साथ संलग्न हैः–

1. परीक्षा संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाकर पूरक परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्र वैकल्पिक प्रश्न–पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं तथा पूरक परीक्षा से संबंधित अन्य प्रपत्र आदि छपवाने की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जावे। प्रश्नपत्रों के निर्माण एवं मुद्रण में पूर्ण गोपनीयता एवं विश्वसनियता का पालन किया जावे। पूरक परिक्षाएँ आयोजन हेतु प्रपत्र / उत्तरपुस्तिकाएँ आदि पहले पूर्व सत्र की ही उपयोग में लाई जावे। आवश्यकता होने पर ही मुद्रित करवाई जावे।
2. पूरक परीक्षा व्यवस्था के सहयोगार्थ आप अपने प्रतिनिधि को दिनांक 03.07.08 को संग्रहण केन्द्र / परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें।
3. पूरक परीक्षा पंचायत समिति मुख्यालय पर ही आयोजित की जावे।
4. पूरक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में भेजकर मूल्यांकन करवाया जावे और इसमें पूर्ण गोपनीयता बरतें साथ ही परीक्षा परिणाम 12.07.08 को हर संभव घोषित हो, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें।
5. पूरक परीक्षा में परीक्षार्थी के वे ही नामांक होंगे जो मुख्य परीक्षा में आवंटित किए गए थे।
6. अपरिहार्य परिस्थिति हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक विषय के वैकल्पिक प्रश्नपत्रों की पर्याप्त प्रतियां सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध करवाई जावें ताकी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उसी दिन संपादित हो।
7. पूरक परीक्षा के दौरान निरीक्षण की प्रभावी एवं पुख्ता व्यवस्था की जावे।
8. पूरक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था वार्षिक परीक्षा हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे तथा इनमे किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जावे।
9. परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम(टाईम टेबल) के अनुसार दिनांक 03.07.08 से 05.07.08 तक आयोजित की जानी है। अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा संचालन समिति अपने स्तर पर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर परीक्षा का संचालन अपने स्तर पर करें।
10. संलग्न परीक्षा समय–सारिणी (टाईम टेबल) समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करवावें।
11. निदेशालय के पत्र दिनांक 08.01.08 के बिन्दु स 16(3) में स्पष्ट कर दिया गया था, कि पूरक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरवाने की अंतिम तिथि 30.04.08 रहेगी। अतः ऐसी पुख्ता व्यवस्था करें कि दिनांक 30.04.08 तक भरे हुए पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र डाईट में पहुँच जाये।
12. कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तत्काल पश्चात् अपनी सुविधा अनुसार पूरक परीक्षा संचलान समिति की बैठक लें ताकि पूरक परिक्षा संचालन समिति की कार्य योजना बनाकर पूरक परीक्षा प्रश्नपत्र, वैकल्पिक प्रश्नपत्र, परीक्षा सामग्री एवं जिला स्तर पर दिशा–निर्देश आदि की क्रियान्विति को अंतिम रूप दिया सके।

13. (ए) पुनर्गणना के आवेदन पत्रों का निस्तारण हर संभव दिनांक 10.05.08 तक हो जाये, ऐसी पुख्ता व्यवस्था करें।
(बी) पुनर्गणना से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों के पूरक परीक्षा आवेदन पत्र भरवाकर डाइट में पहुँचने की अंतिम तिथि 15.05.08 रहेगी।

14. परीक्षा से संबंधित उत्तरपुस्तिकाएँ, प्रपत्र सामग्री आदि को मुद्रण करवाकर संग्रहण केन्द्रों को दिनांक 01.07.08 तक वितरित कर दें।
15. प्रधानाचार्य, डाइट द्वारा नियमित एवं स्वयंपाठी परिक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों पर मुख्य परीक्षा वाले ही नामांकन अंकित कर वापिस संबंधित संस्था प्रधानों को परिक्षार्थियों को वितरण हेतु दिनांक 01.07.08 को प्रेषित करना।
16. परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों को प्रश्न पत्र आदि पहुँचाने की अंतिम तिथि 1.07.08 रहेगी।
17. पूरक परीक्षा का आयोजन दिनांक 03.07.08 से 05.07.08 तक रहेगा।
18. पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा तिथि 12.07.08 होगी।
19. अंक–तालिकाओं का वितरण एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र देने की तिथि 12.07.08 होगी।
20. निदेशालय के पत्र दिनांक 08.01.08 के साथ भिजवाए गए प्रपत्र 1 से 4 (2अ सहित) में सूचनाएँ भरकर निदेशालय में दिनांक 25.07.08 तक अवश्य भिजवाएँ।

उपर्युक्त निर्देशों, नवीन प्रसारित परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियमों के तहत कक्षा 8वीं की पूरक परीक्षा प्रभावी ढंग से आयोजित करवाने की व्यवस्था तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने की सुनिश्चित व्यवस्था की जावे।

ह.निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।